

आरक्षण के उप-वर्गीकरण की अवधारणा

प्रलिस के लयः

आरक्षण का उप-वर्गीकरण, जनैल सहऱ बनाड लक्ष्डी नारायण गुप्ता डडला, अनुच्छेद- 341, क्रीडी लेयर की अवधारणा, केरल राज्य बनाड एन. एड. थॉडस डडला

डेनुस के लयः

आरक्षण के उप-वर्गीकरण की अवधारणा

चरचा डें क्यौं?

हाल ही डें सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशौं की संवधान पीठ ने अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के आरक्षण के उप-वर्गीकरण (कोटा के भीतर कोटा) डर कानूनी बहस को डरऱ से शुरू कर दया है ।

डरडुख बडुः

- पाँच-न्यायाधीशौं की संवधान पीठ ने अनुसूचित जात वर्ग डें सभी अनुसूचित जातडौं का डडान डरतनऱधऱतऱव सुनशऱचितऱ करने के लयऱ कुछ को अधडडानुड उपचार देने के डकष का डडरथन कयऱ है ।
- वर्ष 2005 'ई. वऱ. चनऱयऱ बनाड आंधर डरदेश राज्य और अनुड (E V Chinnaiah v State of Andhra Pradesh and Others) डडले डें पाँच न्यायाधीशौं की एक पीठ ने नरऱणड दयऱ था कऱ राज्य सरकारौं के डडस आरक्षण के उददेशुड से अनुसूचित जातडौं की उप-शुरेणडडौं बनाने की कोऱई शकतऱ नऱही है ।
- चूंकऱ डडडान शकतऱ (डस डडले डें पाँच न्यायाधीश) की एक पीठ डछऱले नरऱणड को रदद नऱही कर सकतऱ, अतः डडले डें नरऱणड लेने के लयऱ डसे एक बड़ी संवैधानकऱ पीठ को डेजा गया है ।
- डडरत के डुखुड न्यायाधीश दवऱरा सुथाडतऱ की गई बड़ी खंडपीठ दोनौं नरऱणडौं (अनुसूचित जातडौं की उप-शुरेणडडौं बनाने तथा डस संबंड डें राजुडौं को अधकऱर) डर डुनरवचऱर करेगी ।

'ई. वऱ. चनऱयऱ बनाड आंधर डरदेश राज्य और अनुड डडलाः

(E V Chinnaiah v State of Andhra Pradesh and Others)

- वर्ष 2005 के डस डडले डें सर्वोच्च न्यायालय ने नरऱणड दयऱ कऱ कऱसी जात को अनुसूचित जात के रूड डें शामिल करने या बहषऱकृत करने की शकतऱ केवल राष्ट्रडत के डडस है, और राज्य सूची के साथ छेडछाड नऱही कर सकते हैं ।

आरक्षण का उप-वर्गीकरणः

- अनेक राजुडौं का डडनना है कऱ अनुसूचित जातडौं डें भी कुछ अनुसूचित जातडौं का सकल डरतनऱधऱतऱव अनुड की तुलना डें कड है ।
 - अनुसूचित जातडौं के भीतर की असडडानता को कऱई रडडऱरटौं डें रेखांकतऱ कयऱ गया है ।
- डस असडडानता को संबोधतऱ करने के लयऱ आरक्षण के उप-वर्गीकरण अरुथात कोटा के अंदर कोटा डरदान करने की बात की जातऱ है ।

राजुडौं डें आरक्षण का उप-वर्गीकरणः

बिहार:

- वर्ष 2007 में बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जातों के भीतर पछिड़ी जातियों की पहचान करने के लिये 'महादलित आयोग' का गठन किया गया था।

तमिलनाडु:

- राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति एम. एस. जनार्थनम (Janarthanam) की रिपोर्ट में पाया गया है कि राज्य में अनुसूचित जातों की आबादी राज्य की आबादी की 16% होने के बावजूद उनका सरकारी नौकरियों में केवल 0-5% प्रतिनिधित्व था।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुसूचित जातों कोटे के भीतर 3% कोटा अरुंधतियर (Arundhatiyar) जातों को प्रदान किया गया है।

आंध्र प्रदेश:

- वर्ष 2000 में, न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश की विधायिका द्वारा 57 अनुसूचित जनजातों को मिलाकर एक उप-समूह का निर्माण किया गया।
- इन अनुसूचित जनजातों का उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जातों के कोटे में 15% कोटा निर्धारित किया गया।

पंजाब:

- पंजाब सरकार द्वारा भी अनुसूचित जातों कोटे में बाल्मीकि और मजहबी सखियों को वरीयता देने वाला कानून बनाया है।

उप-वर्गीकरण के आधार:

क्रीमी लेयर की अवधारणा:

- सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि आरक्षण का लाभ 'सबसे कमजोर लोगों को' (Weakest of the Weak) प्रदान किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2018 में '[जरनैल सहि बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले](#)' में अनुसूचित जनजातों के भीतर एक 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा के नरिणय को कायम रखा गया।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही 12 वर्ष पुराने 'एम. नागराज बनाम भारत' सरकार मामले में दिये गए पूर्ववर्ती नरिणय पर सहमति व्यक्त की गई थी।
 - एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि अनुसूचित जातों और जनजातों (SC/ST) को मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके इसके लिये आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रयोग करना आवश्यक है।
- वर्ष 2018 में पहली बार अनुसूचित जातों की पदोन्नति में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को लागू किया गया था।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के जरनैल सहि मामले में नरिणय की समीक्षा की मांग की है और मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

अनुच्छेद- 341:

- संविधान के अनुच्छेद- 341 के तहत अनुसूचित जातों को नरिधारित करने के लिये राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है।
- एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जातों दूसरे राज्य में SC रूप में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
- न्यायालय का मानना है कि केवल वरीयता देने, पुनर्व्यवस्थापति करने, उप-वर्गीकरण करने से अनुच्छेद- 341 के तहत अधिसूचित सूची में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी जातों का समावेश या बहिष्करण करने की मनाही करता है, न कि उप-वर्गीकरण की।

समानता का अधिकार:

- नरिचित कारणों तथा आधारों पर किया गया उप-वर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
- उप-वर्गीकरण से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातों में न केवल 'आनुपातिक समानता' की प्राप्ति होगी अपितु 'वास्तविक समानता' की प्राप्ति होगी।

उप-वर्गीकरण के विषय में तर्क:

अनुसूचित जातों एक वर्ग:

- 1976 के 'केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस मामले' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नरिधारित किया कि अनुसूचित जातों (SC) कोई जात नहीं हैं, अपितु वे वर्ग हैं।
- इस मामले में यह तर्क दिया गया कि 'सामाजिक और शैक्षणिक पछिड़ेपन' की शर्त को अनुसूचित जातों और अनुसूचित जनजातों पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- अस्पृश्यता के कारण सभी अनुसूचित जातों को विशेष उपचार दिया जाना चाहिये।

वोट बैंक की राजनीति संभव:

- आरक्षण के उप-वर्गीकरण में सरकार द्वारा लिये जाने वाले नरिणय वोट बैंक की राजनीतिके आधार पर हो सकते हैं ।
- इस तरह के संभावति मनमाने बदलाव से बचने के लयि अनुच्छेद- 341 में राष्ट्रपतिकी सूची की परकिल्पना की गई थी ।

आगे की राह:

- सामाजकि वास्तवकिताओं को ध्यान में रखे बनिा सामाजकि परिवर्तन का संवैधानकि लक्ष्य प्राप्त नहीं कयिा जा सकता है । अतः इस दशिा में उचति आरक्षण उप-वर्गीकरण प्रणाली को अपनाना एक प्रभावी कदम हो सकता है ।

भारत में अनुसूचति जनजातयिाँ:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचति जातयिाँ का प्रतशित भारत की जनसंख्या का 16.6% है ।
- सामाजकि न्याय और अधिकारतिा मंत्रालय की वार्षकि रिपौर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 में देश में कुल 1,263 अनुसूचति जनजातयिाँ थी ।
- अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड, अंडमान और नकिोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कसिी भी समुदाय को अनुसूचति जातकि रूप में नरिदषिट नहीं कयिा गया है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sub-classification-of-reservation>

